

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

(223/1, सिविल लाइन, मेरठ-250001)

पत्रांक- 3402 /14-1, दिनांक, मेरठ, 2/ फरवरी, 2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत नयागांव-मकदूमपुर सड़क का चैनेज कि0मी0 00.00 से कि0मी0 23.350 (कुल लम्बाई 23.350) का पुनः निर्माण और सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 0.334 हे0 आरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य एवं 43 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No. FP/UP/Road/149898/2021.

संदर्भ:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ का पत्रांक 3841/14-1, दिनांक 07.02.2023।

महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के संदर्भित पत्र से विषयक प्रस्ताव संस्तुति सहित प्राप्त हुआ है। अतः उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए इस कार्यालय की संस्तुति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार 03 प्रतियों में।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

पत्रांक- 3402 /14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ को उनके संदर्भित पत्र के में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन से विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक सम्बन्धित क्षेत्र में किसी भी दशा में कार्य न होने दिया जाये। प्रभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दे दिये जाये कि समय-समय पर क्षेत्र का भ्रमण कर निगरानी करते रहे।

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

भाग—III

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत नयागांव—मकदूमपुर सड़क का चैनेज कि०मी० ००.०० से कि०मी० २३.३५० (कुल लम्बाई २३.३५०) का पुनः निर्माण और सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु ०.३३४ हे० आरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य एवं ४३ वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No. FP/UP/Road/149898/2021.

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो निरीक्षक नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सममत है।	सहमत हैं
16.	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि :- २१/०२/२०२३ हस्ताक्षर

स्थान :- MEERUT मेरठ

नाम और पदनाम—
सरकारी मोहर—

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

पृष्ठ संख्या—

**Full title of the Project : “ Re-Construction & road widening of
Nayagaon- Makdumpur road from chainage
km 00.000 to km 23.350(Total Length 23.350)
in district-Meerut, Uttar Pradesh State.**

Proposal No. : FP/UP/Road/149898/2021

Diversion Area : 0.334 Ha.

प्रस्ताव परीक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र.

प्रमाणित किया जाता है कि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत नयागांव-मकदूमपुर सड़क का चैनेज कि०मी० 00.000 से कि०मी० 23.350 (कुल लम्बाई 23.350) का पुनः निर्माण और सड़क चौड़ीकरण निर्माण हेतु दूधली वन ब्लॉक के अन्तर्गत 0.175 हे० क्षेत्र एवं बस्तौरा वन ब्लॉक के अन्तर्गत 0.159 हे० क्षेत्र प्रभावित होगा अर्थात् कुल 0.334 हे० आरक्षित वनभूमि प्रभावित होगी जो कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आती है, जिसके गैर वानिकी कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव का भली-भाँति परीक्षण कर लिया है तथा प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम— 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(राजेश कुमार)
(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ।

(शैलेंद्र कुमार सारस्वत)
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
मेरठ।
Er. Shailendra Kumar Sarswat
Executive Engineer
Provincial Division PWD, Meerut

प्रतिहस्ताक्षरित

वनसंरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ क्षेत्र,
मेरठ।